



अधिसूचना संख्या- 64 /2020

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 22 (1)(f) तथा इसके अध्यक्षीन स्वीकृत अध्याय 4 के अनुच्छेद (1) (ग्रुप-ए एवं ग्रुप-बी) के उपबंधों के अनुसार निम्नांकित स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्षों को दिनांक 19.09.2020 से दिनांक 18.09.2021 तक, अर्थात् एक वर्ष की अवधि के लिए अभिषद् (सिन्डिकेट) का सदस्य मनोनोत किया जाता है:-

1. अध्यक्ष, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग
2. अध्यक्ष, स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग

कुलपित के आदेश से

11.12.20
कुलसचिव

ज्ञाप संख्या B/9100-72 दिनांक : 11-12-2020

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपरोक्त मान्य सदस्यों को,
2. अभिषद् के सभी मान्य सदस्यों को,
3. सभी स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्ष,
4. सभी अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य,
5. सभी नियमित/अपरिनियमित पदाधिकारी,
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,
7. निदेशक, बायोइन्फॉरमेटिक एवं केन्द्रीय पुस्तकालय एवं
8. अधिसूचना सहायक, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

11.12.20
कुलसचिव

ज्ञाप संख्या B/9173-74 दिनांक : 11-12-2020

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सरकार के सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना,
2. विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना।

11.12.20
कुलसचिव

11.12.2020